

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने [मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0](#) के तहत ड्रों के माध्यम से 20 ज़िलों में **4,533 लाभार्थियों** को भूखंड आवंटित किये।

मुख्य बंदि

- प्रथम चरण में आवंटित आवासीय भूखंड:
 - 20 ज़िलों की ग्राम पंचायतों में सभी पात्र आवेदकों को **100 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किये गए**:
 - अंबाला, भविनी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हसिरा, झज्जर, जीद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाडी, रोहतक, सरिसा, सोनीपत और यमुनानगर।
 - जीद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, भविनी, फतेहाबाद, रोहतक और हसिरा ज़िलों के **घुमंतू जाति**, वधिया और अनुसूचित जाति के पात्र आवेदकों को भी **100 वर्ग गज के भूखंड** प्राप्त हुए।
 - महाग्राम पंचायत बहल में पात्र आवेदकों को **50 वर्ग गज के भूखंड** आवंटित किये गए।
- आवंटन की वधि:
 - पारदर्शी और नषिपक्ष प्रकरिया सुनिश्चित करते हुए पात्र लाभार्थियों को आवासीय भूखंडों का आवंटन **ड्रा सिस्टम के माध्यम** द्वारा किया गया।